

बिहार सरकार
कृषि विभाग

पत्र संख्या-3/कृ0 बजट-आवंटन-23/2015-113 (आवंटन) /कृ0, पटना, दिनांक 21-07-2015

प्रेषक,

प्रभु राम
निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

Fax/Mail

अपर निदेशक (शष्य) बिहार, पटना/जिला कृषि पदाधिकारी, पटना/नालंदा/ भोजपुर /बक्सर/रोहतास/कैमूर/गया /औरंगाबाद/ जहानाबाद/अरवल/नवादा/ सारण/सिवान /गोपालगंज/मुजफ्फरपुर/पूर्वी चम्पारण/प० चम्पारण/सीतामढ़ी/शिवहर/वैशाली/दरभंगा /मधुबनी/समस्तीपुर/बेगुसराय/सहरसा/सुपौल/मधेपुरा/खगड़िया/पूर्णिया/कटिहार/अररिया /किशनगंज/भागलपुर/मुंगेर/. जमुई/लखीसराय/शेखपूरा/ बाँका।

विषय: किसान सलाहकार योजना का वर्ष 2015-16 में 781269282.00 (अठत्तर करोड़ बारह लाख उनहत्तर हजार दो सौ बेरासी) रु० मात्र की लागत पर योजना कार्यान्वयन तथा इसके अधीन तत्काल सामान्य जाति के किसान सलाहकार के लिए 488475180.00 (अड़तालीस करोड़ चौरासी लाख पचहत्तर हजार एक सौ अस्सी) रु० मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के फलस्वरूप व्यय हेतु कुल ₹48,84,75,180 (अड़तालीस करोड़ चौरासी लाख पचहत्तर हजार एक सौ अस्सी रुपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-कृ० प्र० किसान सलाहकार योजना 01/2015-435 दिनांक-08.09.2015 द्वारा किसान सलाहकार योजना का वर्ष 2015-16 में 781269282.00 (अठत्तर करोड़ बारह लाख उनहत्तर हजार दो सौ बेरासी) रु० मात्र की लागत पर योजना कार्यान्वयन तथा इसके अधीन तत्काल सामान्य जाति के किसान सलाहकार के लिए 488475180.00 (अड़तालीस करोड़ चौरासी लाख पचहत्तर हजार एक सौ अस्सी) रु० मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति हुई है। इस स्वीकृति राशि के अन्तर्गत व्यय हेतु कुल ₹48,84,75,180 (अड़तालीस करोड़ चौरासी लाख पचहत्तर हजार एक सौ अस्सी रुपये) मात्र की राशि संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित की जाती है।

2. उपरोक्त कुल ₹48,84,75,180 (अड़तालीस करोड़ चौरासी लाख पचहत्तर हजार एक सौ अस्सी रुपये) मात्र की निकासी बजट-शीर्ष 2401-फसल कृषि-कर्म-उपमुख्यशीर्ष-00, लघुशीर्ष-109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण-मॉग संख्या-1 -उपशीर्ष- 0106- इनटेन्सिफायड फिल्ड डेवलपमेंट एण्ड ट्रेनिंग सर्पेट, नई योजना, विपत्र कोड-P2401001090106, राज्य योजना स्कीम कोड-AGR-50 22, के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में विषयशीर्ष -28 01- व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएं मद. में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि० (2) दिनांक-17.04.98 एवं पत्रांक-5294 दिनांक-17.06.2015 के आलोक में दी जा रही है।

4. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्तों/निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्यय पदाधिकारी की होगी।

5. व्यय के तुरत बाद टी० भी० नं० के साथ व्यय विवरणी अद्योहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

विश्वासभाजन,


(प्रभु राम)
निदेशक प्रशासन -सह-अपर सचिव
कृषि विभाग बिहार पटना।

ज्ञापांक

113 (ओक्टन)

/कृ०, पटना, दिनांक 21-09-2015

हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार पटना को विवरणी सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई

हेतु प्रेषित।

2. विवरणी सहित संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई

ज्ञापांक

113 (ओक्टन)

/कृ०, पटना, दिनांक 21-09-2015

प्रतिलिपि : वित्त विभाग बिहार, पटना/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/ निदेशक, उद्यान बिहार, पटना/निदेशक पी०पी०एम० बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार पटना/अपर कृषि निदेशक, (प्रसार) बिहार पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार, राज्य बीज निगम, पटना/कुलपति, रा०कृ०वि०वि०, पूसा, समस्तीपुर/कुलपति, बि०कृ०वि०वि०, सबौर, भागलपुर/निदेशक, बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेंसी, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/संयुक्त निदेशक, (शष्य), योजना बिहार पटना/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/संयुक्त निदेशक (शष्य), पाट पूर्णियाँ/सभी उप कृषि निदेशक, (शष्य) प्रक्षेत्र/उप निदेशक, (शष्य), बीज बिहार पटना/सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी योजना शाखा (सचिवालय एवं कृषि निदेशालय), कृषि विभाग, बिहार, पटना को विवरणी सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप निदेशक (शष्य) सूचना / आई. टी. मैनेजर बिहार, पटना को विवरणी सहित विभागीय वेबसाइट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी तथा संबंधित कोषागार पदाधिकारी को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रशासन -सह-अपर सचिव
कृषि विभाग बिहार पटना।

विभागीय स्वीकृतिदेश संख्या-435 दिनांक-08.09.2015 द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में किसान सलाहकार योजना अंतर्गत सामान्य जाति के कार्यरत किसान सलाहकार के लिए तत्काल निकासी हेतु स्वीकृत राशि की आवंटन विवरणी ।

विपत्र कोड-P24010010900106

(राशि रुपये में)

क्रम सं.	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	स्वीकृत राशि			आवंटित राशि		
		मानदेय	आक्समिकता	कुल	मानदेय	आक्समिकता	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1	जिला कृषि पदाधिकारी, पटना।	1,70,46,450	49,000	1,70,95,450	1,70,46,450	49,000	1,70,95,450
2	जिला कृषि पदाधिकारी, नालन्दा।	1,28,88,780	36,600	1,29,25,380	1,28,88,780	36,600	1,29,25,380
3	जिला कृषि पदाधिकारी, भोजपुर।	1,08,93,100	31,400	1,09,24,500	1,08,93,100	31,400	1,09,24,500
4	जिला कृषि पदाधिकारी, बक्सर।	87,31,110	25,200	87,56,310	87,31,110	25,200	87,56,310
5	जिला कृषि पदाधिकारी, रोहतास (सासाराम)।	1,24,73,010	33,000	1,25,06,010	1,24,73,010	33,000	1,25,06,010
6	जिला कृषि पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ)।	84,81,650	24,600	85,06,250	84,81,650	24,600	85,06,250
7	जिला कृषि पदाधिकारी, गया।	1,77,94,830	48,000	1,78,42,830	1,77,94,830	48,000	1,78,42,830
8	जिला कृषि पदाधिकारी, औरंगाबाद।	1,10,74,370	32,600	1,11,06,970	1,10,74,370	32,600	1,11,06,970
9	जिला कृषि पदाधिकारी, जहानाबाद।	52,48,340	14,800	52,63,140	52,48,340	14,800	52,63,140
10	जिला कृषि पदाधिकारी, अरवल।	39,47,470	11,600	39,59,070	39,47,470	11,600	39,59,070
11	जिला कृषि पदाधिकारी, नवादा।	1,09,76,250	30,800	1,10,07,050	1,09,76,250	30,800	1,10,07,050
12	जिला कृषि पदाधिकारी, सारण (छपरा)।	1,58,82,300	47,200	1,59,29,500	1,58,82,300	47,200	1,59,29,500
13	जिला कृषि पदाधिकारी, सिवान।	1,83,06,320	49,600	1,83,55,920	1,83,06,320	49,600	1,83,55,920
14	जिला कृषि पदाधिकारी, गोपालगंज।	1,53,50,510	41,800	1,53,92,310	1,53,50,510	41,800	1,53,92,310
15	जिला कृषि पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर।	2,07,88,350	60,400	2,08,48,750	2,07,88,350	60,400	2,08,48,750
16	जिला कृषि पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण।	2,42,80,800	71,200	2,43,52,000	2,42,80,800	71,200	2,43,52,000
17	जिला कृषि पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण।	2,06,22,050	59,400	2,06,81,450	2,06,22,050	59,400	2,06,81,450
18	जिला कृषि पदाधिकारी, सीतामढ़ी।	1,51,33,920	41,400	1,51,75,320	1,51,33,920	41,400	1,51,75,320
19	जिला कृषि पदाधिकारी, शिवहर।	29,63,170	8,200	29,71,370	29,63,170	8,200	29,71,370
20	जिला कृषि पदाधिकारी, वैशाली।	1,85,43,210	53,200	1,85,96,410	1,85,43,210	53,200	1,85,96,410
21	जिला कृषि पदाधिकारी, दरभंगा।	2,24,51,420	63,000	2,25,14,420	2,24,51,420	63,000	2,25,14,420
22	जिला कृषि पदाधिकारी, मधुबनी।	2,31,99,800	64,800	2,32,64,600	2,31,99,800	64,800	2,32,64,600
23	जिला कृषि पदाधिकारी, समस्तीपुर।	2,08,71,510	61,200	2,09,32,710	2,08,71,510	61,200	2,09,32,710
24	जिला कृषि पदाधिकारी, बेगूसराय।	1,56,15,630	40,600	1,56,56,230	1,56,15,630	40,600	1,56,56,230
25	जिला कृषि पदाधिकारी, सहरसा।	89,99,160	25,800	90,24,960	89,99,160	25,800	90,24,960
26	जिला कृषि पदाधिकारी, सुपौल।	1,19,27,700	33,800	1,19,61,500	1,19,27,700	33,800	1,19,61,500
27	जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा।	93,41,430	26,400	93,67,830	93,41,430	26,400	93,67,830
28	जिला कृषि पदाधिकारी, खगड़िया।	60,70,200	17,400	60,87,600	60,70,200	17,400	60,87,600
29	जिला कृषि पदाधिकारी, पूर्णियाँ।	1,33,87,700	33,000	1,34,20,700	1,33,87,700	33,000	1,34,20,700
30	जिला कृषि पदाधिकारी, कटिहार।	1,45,51,850	36,200	1,45,88,050	1,45,51,850	36,200	1,45,88,050
31	जिला कृषि पदाधिकारी, अररिया।	1,27,88,370	29,600	1,28,17,970	1,27,88,370	29,600	1,28,17,970
32	जिला कृषि पदाधिकारी, किशनगंज।	74,00,660	18,000	74,18,660	74,00,660	18,000	74,18,660
33	जिला कृषि पदाधिकारी, भागलपुर।	1,48,84,460	40,400	1,49,24,860	1,48,84,460	40,400	1,49,24,860
34	जिला कृषि पदाधिकारी, मुंगेर।	67,35,430	17,000	67,52,430	67,35,430	17,000	67,52,430
35	जिला कृषि पदाधिकारी, जमुई।	86,47,960	24,000	86,71,960	86,47,960	24,000	86,71,960
36	जिला कृषि पदाधिकारी, लखीसराय।	35,75,600	10,200	35,85,800	35,75,600	10,200	35,85,800
37	जिला कृषि पदाधिकारी, शेखपुरा।	36,49,400	9,800	36,59,200	36,49,400	9,800	36,59,200
38	जिला कृषि पदाधिकारी, बाँका।	1,15,00,310	29,400	1,15,29,710	1,15,00,310	29,400	1,15,29,710
39	अपर निदेशक (शष्य) बिहार, पटना।	-	1,00,000	1,00,000	-	1,00,000	1,00,000
कुल		48,70,24,580	14,50,600	48,84,75,180	48,70,24,580	14,50,600	48,84,75,180

कुल-(अड़तालीस करोड़ चौरासी लाख पचहत्तर हजार एक सौ अस्सी रुपये मात्र)।

(हस्ताक्षर)

(हस्ताक्षर)
उप-निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।